



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय - मत्स्यपालन विभाग

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING - DEPARTMENT OF FISHERIES

केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES NAUTICAL AND ENGINEERING TRAINING

फाईन आर्ट्स एवन्यू कोच्ची (केरल) - 682016 | FINE ARTS AVENUE, KOCHI (KERALA) - 682016



फा सं: 1-3/2022-23 ओ.पी.एन कोच्ची

दिनांक: 22, जून 2022

ई-निविदा का शुद्धि पत्र

ई- निविदा पहचान सं: 2022_DADF_696153_1

सिफनेट कोच्ची के विभागीय जलयान एम.वी. प्रशिक्षणी में मानवशक्ति के बहिःस्रोतन के लिए जारी ई-निविदा (ई-निविदा आइ.डी: 2022_डी.ए.डी.एफ_696153_1) में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:

अन्य निबंधन और शर्तें

(अध्याय-II, निविदा के निबंधन और शर्तों के अधीन)

क्र.सं	मूल निविदा दस्तावेज़ के अनुसार	किया गया संशोधन
5	सफल बोलीदाता वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सिफनेट, कोच्ची/भुगतान और लेखा अधिकारी, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी, कोच्ची-16 के पक्ष में संविदा की पूरी अवधि के दौरान वैध, संविदा के लिए मियादी जमा रसीद के रूप में रु.5,00,000/- (केवल पांच लाख रुपये) की निष्पादन सुरक्षा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। संविदा की अवधि पूरा होने के बाद निष्पादन सुरक्षा जमा वापस कर दी जाएगी	सफल बोलीदाता, भुगतान और लेखा अधिकारी, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कोच्ची-16 के पक्ष में, मियादी जमा रसीद के रूप में, संविदा के कुल मूल्य के तीन प्रतिशत के समतुल्य राशि की निष्पादन सुरक्षा, जो संविदा की पूरी अवधि के दौरान वैध होगी, प्रस्तुत करने के बाद, एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। संविदा की अवधि पूरा होने के बाद निष्पादन सुरक्षा जमा वापस कर दी जाएगी।

ई-निविदा के अन्य निबंधन और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे कोई सूचना के लिए कृपया सी.पी.पी पोर्टल <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> देख लें।

निदेशक

प्रतिलिपि:

1. अनुदेशक (इलेक्ट्रॉनिकी) को प्रभारी अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिकी) के ज़रिए- सिफनेट वेबसाइट में प्रकाशित करने के लिए।
2. राजभाषा अनुभाग-निविदा सूचना के हिंदी रूपांतर के लिए।
3. अनुदेशक (मत्स्यन प्रौद्योगिकी)/ वरिष्ठ अनुदेशक (मत्स्यन प्रौद्योगिकी)/मुख्य अनुदेशक (मत्स्यन प्रौद्योगिकी) - सूचनार्थ।
4. प्रभारी स्किप्पर, एम.वी प्रशिक्षणी को प्रभारी अधिकारी (प्रचालन) के ज़रिए- सूचनार्थ।
5. प्रभारी अधिकारी (भंडार)-सूचनार्थ।
6. सूचना पट्ट